न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 54/2024 बउनवानी देवीलाल बैरवा **बनाम** लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार चौथ क़ा बरवाडा पुत्र श्री सुखलाल बैरवा निवासी लवकुश कॉलोनी खेरदा सवाई माधोपुर

GCMS No-2024/167

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
3.12.2024	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 17.9.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर *"प्रार्थी देवीलाल पुत्र सुखलाल बैरवा द्वारा दिनांक 6.9.2024 को तहसीलदार चौथ का बरवाडा के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम गिरधरपुरा के ख0न0 590 रकबा 0.01 है0 को गै0मु0 बाडा को आबादी मे परिवर्तित करने बाबत दिया गया था उस पर की गयी कार्यवाही की सूचना"* तहसीलदार चौथ का बरवाडा से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकःसू.का.अ./2024/706 दिनांक 21.11.2024 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 6.9.2024 में चाही गयी सूचना तहसीलदार चौथ का बरवाडा के पत्रांक/भू.अ./2024/667 दिनांक 21.10.2024 एवं पत्रांक 705 दिनांक 21.11.2024 से अपीलान्ट को पटवारी रिपोर्ट दिनांक 17.10.2024 की प्रति भिजवाकर वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि किस्म परिवर्तित करने हेतु सक्षम न्यायालय मे वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है। इस प्रकार चाही गयी सूचना अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कष पर पहुँचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 17.9.2024 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना तहसीलदार चौथ का बरवाडा के पत्रांक/भू.अ./2024/667 दिनांक 21.10.2024 एवं पत्रांक 705 दिनांक 21.11.2024 द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनाई गयी। (शुभम चौधरी) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:01:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner